

संख्या

2543  
21-09-19

## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 1165/2019-2020

फाइल संख्या F-11961

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि

श्री उमारमण जन कल्याण समिति।

ग्राम जामोकोट पोस्ट जामो जिला-अमेठी।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र संख्या

726/1999-2000

दिनांक 18/09/1999 को दिनांक

18/09/2019 से पांच वर्ष की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

1000

रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक

21/09/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 500386



सत्य प्रतिलिपि  
47  
उप निदेशक  
राम समिति (तथा विद्वान्)  
जयपुर (30 50)  
23/05/19

श्री उमाप्रकाश जन कलाशाला  
लखनऊ  
एफ. = 11961

अंगी.  
प्रबन्धकारिता समिति की खुर्ची  
वर्ष - 2018-20

**श्री उमाशरण जन कल्याण समिति**  
**ग्राम-जामोकोट पो0-जामों जिला अमेठी**  
**प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2019-20**

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री कृष्ण अशोक प्रताप सिंह राजेश्वर देवप्रसाद पुत्र श्री एस0पी0 सिंह	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री जय सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्रीमती प्रवृत्ति सिंह पत्नी श्री एस0पी0 सिंह	कोठी चन्दापुर जिला रायबरेली	सचिव/ प्रबन्धक	कृषि
4.	श्री सत्यदेव मिश्र पुत्र स्व0अयोध्या प्रसाद मिश्र	जामों गौरा जामों जिला अमेठी	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती प्रतिमा सिंह पत्नी श्री विष्णुभागीरथ सिंह जूडेय	ग्राम व पो0 लखनपुर रायबरेली	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्रीमती चन्द्रकान्ती सिंह पत्नी स्व0जितेन्द्रनाथ सिंह	कोठी चन्दापुर जिला रायबरेली	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री अमल कुमार पुत्र स्व0 सुब्रह्मण्य सिंह	ग्राम व पो0 अचलपुर जामों जिला अमेठी	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री सीतला प्रताप मिश्र पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्र	ग्राम पूरे नैमधर पंडित, पो0 गौरीगंज जिला अमेठी	सदस्य	नौकरी
9.	श्री विभवत प्रताप यादव पुत्र स्व0भैरव यादव	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
10.	श्री अमरुत कुरीन पुत्र श्री रमेश	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
11.	श्री सिद्धराज हरिजन पुत्र श्री नरेश	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	मजदूरी
12.	श्री महेश प्रताप शुक्ला पुत्र श्री लालता प्रसाद शुक्ला	ग्राम बलरूपपुर पो0 जामों अमेठी	सदस्य	नौकरी
13.	श्रीमती अनुष्मा सिंह पत्नी श्री प्रमोद सिंह	136 बी श्री कृष्णपुरी कान्तोनी पटना	सदस्य	समाजसेवा
14.	श्री कृष्ण नाचयण सिंह पुत्र श्री दीपेन्द्र नाचयण सिंह	ग्राम राजगंज पो0 नालाखण इटावा	सदस्य	कृषि
15.	श्री रामशंकर पुत्र स्व0-सुभाषचंद्र	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
16.	श्रीमती अम्बिका सिंह पत्नी श्री प्रताप आशिय सिंह जूडेय	पेलैरा रायबरेली जिला भूमि बिलार	सदस्य	समाजसेवा
17.	श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह	कोठी रातना जिला रातना भोजपुर	सदस्य	कृषि



Handwritten signatures and dates, including 'T. P. Y.' and '20/09/19'.

नि० अ० शिवराज  
 श्री उमाशरण जन कल्याण समिति  
 जामों कोट, जामों-अमेठी (राज०)

प्रबन्धक  
 श्री उमाशरण जन कल्याण समिति  
 जामों कोट, जामों-अमेठी (राज०)

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AD 629032



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक  
जन सचिवालय तथा निदेश  
केन्द्रावाहा (उ.प्र. प्र. ०)

02/09/17

श्री उमा रमणी जन सचिवालय  
सचिवालय  
ममेठी  
लुंसीधी विभागाधी

11/9/17

# संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री उमादामण जन कल्याण समिति
2. संस्था का पता : ग्राम जामों कोट, पोस्ट-जामों जिला उमरी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

1. आजीवन सदस्य : ऐसे व्यक्ति जो संस्था को 501/एक गुस्त सदस्यता शुल्क देंगे।
2. वार्षिक सदस्य : ऐसे व्यक्ति जो संस्था को प्रति वर्ष 101/रुपया सदस्यता शुल्क देंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति: 1 मृत्यु होने पर। 2 संस्था विरोधी कार्य करने पर अध्यक्ष द्वारा स्पष्टिक से निष्कासन। 3 न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर। 4 पागल या दिवालिया हो जाने पर। 5 त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। 6 लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति होने पर। 7 नियमित शुल्क न देने पर।



6. संस्था के अध्यक्ष को आमंत्रित करना : 1 आमंत्रित करना : 2 प्रबन्धकारिणी समिति

7. आमंत्रण : साधारणसभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

8. बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार आहूत की जायेगी।

9. सूचना : सामान्य बैठक की सूचना दस दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी।

10. गणपूर्ति : कुल सदस्यता संख्या का 1/3 बहुमत कोरम होगा। स्वीकृत बैठक हेतु कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

11. वार्षिक अचिदेशन की तिथि : वार्षिक अचिदेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति की राय से तय की जायेगी।

12. साधारण सभा के अधिकार एवं कार्य: (1) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना। (2) संस्था का वार्षिक बजट पास करना। (3) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना। (4) आवश्यक संशोधन प्रक्रिया 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना। (5) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन की व्यवस्था करना एवं आवश्यक होने पर धन-उत्पन्न सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करना।

13. प्रबन्ध कारिणी समिति : साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव/प्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष एक, तथा सात सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या न्यारह होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।

जमा राशि का लेखा-पुस्तिका  
जामों कोट पोस्ट, उमरी 30001

T. P. Y. 18/10/87

बैठकें :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में दो बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर सचिव द्वारा आहूत की जा सकती है।

सूचनाअवधि:

सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व देना होगा।



शगपूति:

सदस्य संख्या का 1/3 बहुमत फोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलाई गई बैठक के लिये फोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति:

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के द्वारा बहुमत के आधार पर की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

- 1 संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 2 वार्षिक वजत तैयार करना।
- 3 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल: प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

सत्य प्रतिनिधि

का निष्कासन

कर्म समिति तथा विद्वत्

संस्था (स. प्र.)

के लिये

के लिये

के लिये

के लिये

के लिये

के लिये

के लिये

के लिये

के लिये

घ कौषाध्यक्ष :- आय व्यय का लेखाजोखा रखना, सचिव/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना सदस्यों को चन्दे की रसीद देना व उसका रजिस्टर रखना।



T. P. P.

के लिये

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

- 11 संस्था का धोष की व्यवस्था : संस्था के धोष की व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर किया जायेगा। उक्त खाता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/ प्रबंधक तीन लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा। धन निकाली हेतु चेक पर हस्ताक्षर उपरोक्त तीन में से किन्हीं दो लोगों द्वारा किया जायेगा।
- 12 संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण अंकित :  
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण मान्यता प्राप्त एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रति वर्ष कराया जायेगा।
- 13 संस्था के अभिलेख :  
1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही रजिस्टर 3 स्टॉक रजिस्टर 4 कैश बुक 5 चन्दा रसीद आदि
- 14 संस्था के विघटन एवं विधित्त संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

उप निवन्धक  
जाने समितिवा तथा विद्वान  
के.ए.ए. (उ. प्र.)



*[Handwritten signature]*

१९९४



उप निवन्धक  
जाने समितिवा तथा विद्वान  
के.ए.ए. (उ. प्र.)

एक निः संशय शिखर

प्रतिनिधि बन्नी  
बिलास काली